



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

jdajodhpur.rajasthan.gov.in वेब साइट http://email:jdajodhpur@rajasthan.gov.in phone no- 0291.2612086,0291.2656355 नि 0291.261537

दिनांक:- 18/3/2021

क्रमांक:- 2635

:: ई.ओ.आई सूचना संख्या: जोन- मुख्यालय.- 38/2020-21 ::

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से कन्सलटेन्सी कार्य से संबंधित संस्थान/फर्मो/व्यक्ति/विक्रेता से निर्धारित प्रपत्र मे ई-प्रोक्चुरमेन्ट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

महत्वपूर्ण दिनांको का विवरण

क्र. सं.	विवरण	आईटम संख्या	दिनांक व समय
1-	ऑनलाईन ई.ओ.आई फॉर्म की उपलब्धता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय	01	दिनांक 22.03.2021 व समय 12.00 P.M.
2-	ऑनलाईन ई.ओ.आई फॉर्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय	01	दिनांक 10.04.2021 व समय 6.00 P.M.
3-	ऑनलाईन ई.ओ.आई फॉर्म जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	01	दिनांक 22.03.2021 व समय 12.00 P.M.
4-	ऑनलाईन ई.ओ.आई फॉर्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	01	दिनांक 10.04.2021 व समय 6.00 P.M.
5-	ई.ओ.आई शुल्क की ऑनलाईन SSO ID से जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	01	दिनांक 10.04.2021 व समय 6.00 P.M.
6-	ऑनलाईन तकनीकी ई.ओ.आई खोलने की दिनांक व समय	01	दिनांक 12.04.2021 व समय 4.00 P.M.
7-	न्यूनतम तकनीकी योग्यता पूर्ण करने वाले बोली दाता को सूचित करने की दिनांक	01	दिनांक 16.04.2021 व समय 4.00 P.M.
8-	प्राधिकरण के समक्ष तकनीकी प्रस्तुतिकरण की दिनांक	01	दिनांक 20.04.2021 व समय 11.00 A.M.
9-	ऑनलाईन वित्तीय ई.ओ.आई खोलने की दिनांक व समय	01	सफल बोलीदाता को अलग से समय एवं दिनांक सूचित कर दी जायेगी।

ई.ओ.आई. का विवरण:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	धरोहर राशि	ई.ओ.आई. शुल्क (राशि रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	Architectural and Engineering Consultancy & preparation of DPR for Uplift ment and Beautification of Roads, Junctions , design of looping route and heritage Conservation along with Facades of Buildings of Heritage Corridor in Jodhpur City	धरोहर राशि सलग्न घोषणा पत्र	रुपये 1000.00	04 माह

निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार है:-


- ई.ओ.आई प्रपत्रों को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन ई.ओ.आई में भाग लेने वाले कन्सलटेन्ट को ई.ओ.आई. को इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करानी होगी।
- ई.ओ.आई. की प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
- ई.ओ.आई. खोलने की तिथी को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष ई.ओ.आई. खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
- ई.ओ.आई. द्वारा निम्नलिखित राशि जरिये SSO ID से ऑनलाईन ई.ओ.आई. शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि तथा समय तक जमा करवाना आवश्यक है।

क्र.सं.	शुल्क वितरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	उपरोक्तानुसार	ऑनलाईन SSO ID के माध्यम से	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2.	धरोहर राशि	अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत का घोषणा पत्र	sso.rajasthan.gov.in पर urban service में	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3.	ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क	50 लाख से कम 500/- 50 लाख से उपर 1000/-	Payment gateway for E-Tendering से	M.D, RISL, JAIPUR

- प्रदत्त दरे ई.ओ.आई. खोलने की दिनांक से 50 दिवसों तक ई.ओ.आई. स्वीकृति हेतु मान्य (Valid) रहेगी।
- यदि कन्सलटेन्ट के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बंधित जोन अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हों, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

7. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इन्जिनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि कन्सलटेन्ट अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा कन्सलटेन्ट के यहाँ से सेवायें लेने से पहले अनुमति नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
8. कन्सलटेन्ट को ई.ओ.आई. भरते समय साथ में GST Registration की प्रति Scan कर लगाना अनिवार्य है।
9. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1(1)एफ.डी/जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रुपये तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50.00 लाख रुपये से अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रु की राशि ऑनलाईन SSO ID के माध्यम के रूप में देय होगी। यह राशि मैनेजिंग डायरेक्टर, RISL के पक्ष में भुगतान होगी।
10. नगोशियेशन की आवश्यकता होने पर ई-मेल व पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।
11. ई.ओ.आई. शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है:-

50 लाख से कम अनुमानित लागत	रुपये 500
50 लाख से 150 लाख तक अनुमानित लागत	रुपये 1000
150 लाख से 500 लाख तक अनुमानित लागत	रुपये 2000
500 लाख से अधिक अनुमानित लागत	रुपये 5000
12. कन्सलटेन्ट को ऑन लाईन ई.ओ.आई. के साथ संबंधित विभागीय अधिकारियों से जारी GST Registration प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा ई.ओ.आई पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. ई-टेंडरिंग के लिए कन्सलटेन्ट हेतु निर्देश:-
 - इन ई.ओ.आई. में भाग लेने वाले इच्छुक निविदा दाता ई.ओ.आई. प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से देख/ डाउनलोड कर सकते हैं।
 - ई.ओ.आई. में भाग लेने वाले कन्सलटेन्ट को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन ई.ओ.आई. में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। कन्सलटेन्ट उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन कन्सलटेन्ट के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नहीं है।
 - कन्सलटेन्ट को ई.ओ.आई. प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
 - इलेक्ट्रॉनिक ई.ओ.आई. प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व कन्सलटेन्ट यह सुनिश्चित कर लेवे की ई.ओ.आई. प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी हैं।
 - कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
 - ई.ओ.आई. के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।
14. स्वीकृत पत्र (LOA) जारी होने के बाद दस दिवस के भीतर अनुबन्ध (निर्धारित नोन ज्युडिसियल स्टाम्प पर) तथा नियमानुसार अमानत राशि जमा करवानी अनिवार्य है।
15. सलंगन परिशिष्ट ए से डी की पूर्ति करके संवेदक को प्रत्येक पृष्ठ पर लिखित में स्वीकारोक्ति स्वरूप हस्ताक्षर करने अनिवार्य है। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
16. कन्सलटेन्ट द्वारा प्रस्तुत दर पर प्रचलित जी.एस.टी. दर अतिरिक्त देय होगा।
17. निविदादाता को किसी भी सरकारी विभाग से डिबार (वर्जित्य सूची) Blacklist नहीं किया हुआ हो का 50/- के स्टॉम्प में स्व घोषणा पत्र सलंगन करना अनिवार्य होगा।
18. निविदादाता द्वारा निविदा में प्रस्तुत किये गये सभी दस्तावेज के सही अर्थात कूटरचित दस्तावेज नहीं होने का शपथ-पत्र रु. 100/- के स्टॉम्प में स्व घोषणा पत्र सलंगन करना अनिवार्य होगा।



अधिसाधी अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

दिनांक : 18/3/2021

क्रमांक : 2636-62

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि./जो.वि.वि.नि.लि./जन स्वा.अभि. विभाग, जोधपुर।
9. अधिसाधी अभियंता जून- पूर्व/पश्चिम/दक्षिण/उत्तर/पी.एच.ई./विद्युत, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
10. कैशियर/नोटिस बोर्ड।
11. सहायक जन सम्यक अधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>, www.jodhpurida.org एवं www.sppp.raj.nic.in की वेबसाईड पर तुरन्त प्रदर्शित (Up Load) करे तथा जी शेड्यूल अपलोड होने के पश्चात टेण्डर आई.डी अघोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावे। सूचना सहायक जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को ऑनलाईन SSO ID के माध्यम से SSO.RAJASTHAN.GOV.IN पर URBAN SERVICES में PAYMENT GETWAY की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
13. ठेकेदार संघ, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर/ जोधपुर ठेकेदार संघ/ऑल राजस्थान कान्ट्रैक्टर एसोसियेशन / ठेकेदार संघ सिविल जे.डी.ए./पी.इन्फ्रस्ट्रक्चर ठेकेदार संघ/.....।


अधिसाधी अभियंता
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर